क्षेत्रीय कार्यालय,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सी–ब्लाक, इन्दिरा नगर, आवास विकास कालोनी,
रायबरेली–229001 (उ0प्र0)

पत्रांक– 148/NGT-44/P/2022-23 दिनांक– 18/5/2022

To,

The Registrar General,
Hon'ble, National Green Tribunal,
Principal Bench, Faridkot House,
Copernicus Marg, Near India Gate,
New Delhi-110001

Sub.:-Regarding submission of compliance report of Hon'ble NGT, New Delhi order dated 15-02-2022 in O.A. No.-44/2022 Saket Girls PG College v/s State of Uttar Pradesh & Ors.

Sir,

Kindly refer above mentioned subject. In compliance of order dated 15-02-2022 the compliance report along with relevant enclosures and photographs are enclosed herewith for your kind perusal and further necessary action please.

Enclosures:-As above.

Sincerely Yours'

(Pradeep Kumar Vishwakarma)
Regional Officer 18/05/22

Copy to:-For information and necessary action please.

1- Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
2- Chief Environmental Officer (Circle-5), U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
3- Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
4- Shri Pradeep Misra, Advocate, Supreme Court, B-235, Sector-XIX, Noida District-Gautam Buddha Nagar, 201301

Regional Officer

Joint Committee Report in reference to Hon'ble NGT Order in the matter O.A. 44/2022 Saket Girls PG College Vs State of uttar Pradesh & Others.-

1. Hon'ble NGT had passed the order dated 15.02.2022 in O.A. 44/2022, Saket Girls PG CollegeVs State of Uttar Pradesh & Others, the Operative part of the order is as follows:-

   "Present application has filed under section 14 &15 (b) & (c) R/w. section 18(1) & (2) of the National Green Tribunal Act, 2010 by the authorized representative of Saket Girls PG College, Gaighat Road, Dahilamau, Pratapgah, U.P. Ld. Counsel for the applicant has submitted that there is incomplete drain left open by the respondents in front of the college. It is prayed that water logging in the said drain is serious health hazard for the students. Ld. Counsel for the applicant has further submitted that untreated water of the said drain is released in the Sai River as there is no STP to treat the same."

   "In view of above a Joint Committee of the State PCB, Commissioner, Municipal Corporation as well as District Magistrate, Pratapgarh, U.P. is constituted to ascertain the factual position in the matter. The SPCB will be the Nodal agency for coordination and compliance. The Joint Committee may meet within four weeks and undertake site visit and look into the grievance of the applicant and take immediate remedial action, which may include proper channelization/or constructing underground drainage so that untreated water goes through the STP rather than direct disposal into Sai River. Factual and action taken report may be furnished within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.inpreferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF."

2. The said order was put up before the Committee formed under the directions of the Tribunal. For the Compliance of Hon'ble NGT directives a committee constituted of following membersby Additional District Magistrate Pratapgarh vide letter no. 411/ LBC-2022 dated 11.03.2022 of concerned departments-

   a) Sub Divisional Magistrate,Sadar, Pratapgarh.
   b) Regional Officer, UPPCB, Raebareli.
   c) Executive Officer Nagar Palika Parishad Bela, Pratapgarh.

Scanned with Oken Scanner

3. The above mentioned committee with Sri Arvind Kumar Srivastava, Manager Saket Girls P.G College conducted a physical inspection on date 23/03/2022 of the entire area and recorded minutes which are as follows:-

I. The issue regarding the incomplete drain was taken under consideration and upon enquiry it was found that the drain was build by the Gram Sabha which was having its own jurisdiction few years before.

II. That the drain is approx100 metre away from the said college and the college is build in a low lying area, therefore more accumulation of water is possible. That the drain was handed over to the Nagar Palika Parishad Pratapgarh in the year December 2020.

III. That after the expansion of Gram Panchayat to the Nagar Palika Parishad there were approx 200 small and big residential houses which have been found having their respective septic tanks for sewerage and domestic waste water.

IV. That upon inspection it was found that the plot next to the college was not constructed and it is also low lying (Approx. 2-3 feet down from road), So the waste water coming out through incomplete drain is being discharged and accumulated there. Due to the low lying area, there is a strong possibility of accumulation of waste water coming out of the school along with the surrounding houses.

V. That it was also found that the averments regard if the water going into Sai River is incorrect and false.

VI. That the River is approx 1.0 Km away from the said site and no drain is constructed in upward direction.

VII. That a drain of approx 1.2 Km can be constructed in the opposite direction to cater the issue but unfortunately the DPR cost of the drain is approx. 2.96 Cr. prepared by Junior Eng. PWD, which is not financially feasible for Nagar Palika Parishad, Pratapgarh as the Nagar Palika cannot get the works done beyond the budget of Rs 25 lakh.

VIII. Immediately, as a remedial action the waste water is being suctioned through suction machine and taken to the near by Bhuliyapur drain where the bioremediation is already been implemented. In addition to the above, at present the collected effluent is also being pumped daily

Scanned with Oken Scanner

by water pump and sent to other drains at the water logging site. Due to the area being low lying and surrounded on all sides, no other solution other than pumping seems to be possible for immediate drainage.

IX. For the construction of a total 1.2 KM long drain from the waterlogged area to the final disposal point by the Nagar Palika Parishad, Pratapgarh, a letter has been sent to the Secretary, Urban development, through the District Magistrate Pratapgarh by letter no. 991/LBC-2022 date 12.05.2022 for grant of budget required for drain construction.

X. Meanwhile, UPPCB Raebareli has send a notice vide letter no. 73/NGT-44/P/2022-23 dated 25.04.2022 to Nagar Palika Parishad Pratapgarh regarding compliance of Hon'ble NGT order date 15.02.2022 and to take immediate remedial action for water logging problem at the said location.

XI. UPPCB Raebareli has also send a notice to M/s Saket Girls P.G college vide letter no. 132/ NGT-44/P/ 2022-23 dated 06/05/2022 to inform about number of students studying in college and arrangements for treatment of sewerage/waste water generated from the college premises.

XII. Again UPPCB Raebareli has send a notice vide letter no. 143/NGT-44/P/2022-23 dated 13-05-2022 to install a STP in college premises for effective treatment of sewerage/waste water generated from the college and to obtain CTE/CTO from State Pollution Control Board.

That therefore, the said committee has following recommendations on the basis of inspection dated 23.03.2022:-

I. The waste water being discharged by the college must be treated through STP. Since there is only septic tank/ soak pit for the treatment of sewage and waste water generated from the college Saket Girls P.G College, which is not sufficient for treatment of sewage/ waste water as there is approx 700 students studying in the college so the management committee may be decide to install the S.T.P or waste water treatment facility in college premises immediately by their own cost.

Scanned with Oken Scanner

II. Nagar Palika Parishad Pratapgarh should pump the waste water being collected daily from water logged area through a water pump and pump it to nearby drain where Bio- remediation is already implemented till the completion of the construction of drain .

III. Nagar Palika Parishad Pratapgarh will coordinate with the Urban Development Department for the availability of necessary budget for the construction of the proposed drain at the earliest. Simultaneously the Nagar Palika Parishad Pratapgarh must develop a plan to establish a treatment facility (either Bio–remediation or a new Sewage Treatment Plant or connectivity to existing 8.96 MLD STP) for the proposed drain which will have approx 0.5 MLD domestic waste water and quantity will increase in coming years..

Report is submitted before Hon'ble NGT for kind perusal please.

17/5/2022
(Manish Tripathi)
Scientific Asst.
UPPCB, Raebareli

(Mudit Singh)
Executive Officer
NPP Pratapgarh

17/5/2022
(Saumya Mishra)
Sub Div. Magistrate
Sadar Pratapgarh

17/05/22
(Pradeep Kr. Vishwakarma)
Regional Officer
UPPCB Raebareli

Scanned with Oken Scanner

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़।

सेवा में,

विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
नगर विकास अनुभाग–5,
लखनऊ।

पत्रांक : 99 / /एल0बी0सी0–2022 दिनांक : मई 12,2022

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–44/2022 में पारित आदेश दिनांक 15.02.2022 के अनुपालन में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन को सम्बोधित अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद बेल्हा, प्रतापगढ़ के पत्रांकः 16/न0पा0परि0–2022 दिनांक 09 मई, 2022 का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त पत्र में उल्लेख है कि मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में उप जिलाधिकारी सदर, क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रायबरेली व अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद बेल्हा की गठित संयुक्त समिति द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया। मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु साकेत डिग्री कालेज से 100 मीटर पहले तक पूर्व में निर्मित नाला से सई नदी तक 1.2 कि0मी0 पक्के नाला के निर्माण हेतु अवर अभियन्ता सिविल द्वारा अंकन 296.00 लाख रूपये का आगणन तैयार किया गया है। उक्त धनराशि का व्यय नगर पालिका परिषद बेल्हा, प्रतापगढ़ द्वारा स्वयं के संसाधनों से सम्भव नहीं है, साथ ही नगर पालिका द्वारा केवल 25.00 लाख रूपये तक के ही नालों का निर्माण अनुमन्य है। तत्क्रम में अधिशाषी अधिकारी ने उक्त समस्या के समाधान एवं मा0 न्यायाधिकरण के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आगणित धनराशि 296.00 लाख रूपये स्वीकृत करते हुये कार्य पूर्ण करने हेतु किसी सक्षम कार्यदायी संस्था को आदेशित करने का अनुरोध किया है। यह भी उल्लेख है कि नाला निर्माण के उपरान्त एस.टी.पी. आदि के निर्माण तक नालों पर बायो/फाइटोरेमिडिएशन का कार्य नगर पालिका द्वारा संचालित किया जायेगा।

अतः नगर पालिका परिषद बेल्हा प्रतापगढ़ का उक्त पत्र मूल रूप में संलग्न कर आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 नितिन बंसल)
जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़।

प्रतिलिपि : अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद बेल्हा, प्रतापगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़।

कार्यालय नगर पालिका परिषद् बेल्हा–प्रतापगढ़।

संख्या– 16 न0पा0परि0–2022 दिनांक–09 मई, 2022

सेवा मे,

विशेष सचिव,
नगर विकास अनुभाग–5,
उ0प्र0 शासन लखनऊ।

द्वारा,

जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़।

विषय– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या– 44/2022 में परित आदेश दिनांक– 15–02–2022 के अनुपालन में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि संदर्भित ओ0ए0 संख्या– 44/2022 में परित आदेश दिनांक– 15/02/2022 उल्लेखित साकेत ग्रर्ल्स डिग्री कालेज–प्रतापगढ़ गाय घाट रोड पर गाय घाट पुल से लगभग 1 कि0 मी0 पहले नई बस्ती दहिलामऊ में संचालित/स्थापित उक्त स्थल नगर विकास विभाग के आदेश संख्या– 1990/नौ–06–2019–05सी0वि0/20 लखनऊ, दिनांक– 31 दिसम्बर, 2019 में नगर पालिका के सीमा में सम्मलित हुआ है कालेज व इसके आस पास का क्षेत्र **"लो लेण्ड"** में स्थित होने के कारण घरेलु जल का एकत्रीकरण हो रहा है। उक्त समस्या के समाधान हेतु साकेत ग्रर्ल्स पी0जी0 कालेज द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में ओ0ए0 संख्या– 44/2022 योजित की गयी है। जिसमें परित आदेश दिनांक– 15/02/2022 का मुख्य अंश निम्नवत् है–

"............In view of above a joint Committee of the State PCB, Commissioner, Municipal Corporation as well District Magistrate, Pratapgarh, U.P. is constituted to ascertain the factual position in the matter. The SPCB will be the Nodal agency for coordination and compliance. The Joint Committee may meet within four weeks and undertake site visit and look into the grievance of the applicant and take immediate remedial action, which may include proper channelization/ or constructing underground drainage so that untreated water goes through the STP rather than direct disposal into Sai River. Factual and action taken report may be furnished within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.inpreferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of image PDF."

माननीय न्यायाधिकरण द्वारा उक्त आदेश के अनुपालन में अपर जिलाधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा गठित समिति जिसमें उपजिलाधिकारी सदर, क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली व अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद् बेल्हा–प्रतापगढ़ की संयुक्त समिति द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया है मा0 न्यायाधिकरण के आदेश **"Immediate Remedial Action"** के अन्तर्गत उक्त घरेलु जल को सीवर सक्शन मशीन से प्रतिदिन **"Suction"** कर पूर्व में बायो रेमियडेशन स्थापित भुलियापुर नाला में डाला जा रहा है वही Proper channelization/ or constructing underground drainage untreated water goes through the STP rather than direct disposal into Sai River. अर्न्तगत पूर्व मे निर्मित नाला जो साकेत डिग्री कालेज से 100 मीटर पहले तक निर्मित है, से सई नदी तक 1.2 कि0मी0 पक्के नाला के निर्माण हेतु अवर अभियंता सिविल द्वारा अंकन– 296 लाख रू0 का आगणन तैयार किया गया है उक्त धनराशि का व्यय नगर पालिका परिषद् बेल्हा–प्रतापगढ़ द्वारा स्वंय के संसाधनों से सम्भव नही है साथ ही नगर पालिका को केवल 25 लाख तक के नालों का निर्माण अनुमन्य है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थियों के दृष्टिगत आपसे विन्रम अनुरोध है कि उक्त समस्या के समाधान एवं मा0 न्यायाधिकरण के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आगणन धनराशि– 296 लाख रू0 स्वीकृत करते हुए किसी

सक्षम कार्यदयी संस्था को कार्य पूर्ण करने हेतु आदेशित करने का कष्ट करे। नाला निर्माण के उपरान्त STP आदि के निर्माण तक नालों पर बायो/फाइटोरेमिडिएशन का कार्य नगर पालिका द्वारा संचालित किया जायेगा।

<u>संलग्नक– उपरोक्तानुसार</u>

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका परिषद्, बेल्हा–प्रतापगढ़।

प्रतिलिप– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
2. अध्यक्ष महोदया, नगर पालिका परिषद्, बेल्हा–प्रतापगढ़।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका परिषद्, बेल्हा–प्रतापगढ़।

15/22
Web-site: www.saket.education
e-mail : saketpratapgarh@rediffmail.com

नैक मूल्यांकित ग्रेड 'बी' 9838107210 9838503397

साकेत गर्ल्स पी0जी0 कालेज

(सम्बद्ध : प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज)

गाय घाट रोड, दहिलामऊ, प्रतापगढ़

महाविद्यालय कोड : 04078

दिनांक : 11/05/2022

सेवा में,

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
बेल्हा, प्रतापगढ़

विषय : माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 15/02/2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप द्वारा महाविद्यालय के कष्टों को संज्ञान में लेते हुए दिनाँक 06/05/2022 को महाविद्यालय परिसर के निरीक्षण के लिए कोटिश: धन्यवाद।

निरीक्षण के समय आपने स्वयं महसूस किया कि महाविद्यालय परिसर में लगभग एक वर्ष से अधिक समय से नाले के गन्दे पानी के जलभराव से अधिकांश दीवारें सड़ गई हैं और आधारीय पिलर की नींव जिस प्रकार नष्ट हो रही है उससे शीघ्र ही पूर्णत: भवन को ध्वस्त कराकर नवनिर्माण के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रहेगा; उस दिन चर्चा में जल निकासी के सम्बन्ध में सभी सम्भावनाओं पर भी विचार किया गया और यह तय पाया गया कि केवल नाला निर्माण ही जल निकासी के लिए एक मात्र विकल्प है, क्योंकि जहाँ लाखों लीटर नाले का पानी प्रतिदिन आ रहा हो वहाँ दो, चार, पाँच हजार लीटर के सीवेज सक्शन के द्वारा जल निकासी का कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल सकता, किन्तु फिर भी आप द्वारा पाँच हजार लीटर क्षमता के सीवेज सक्शन टैंक द्वारा जल निकासी का प्रयास किया जा रहा है।

मैं आपको इस प्रयास के लिए धन्यवाद देते हुए अवगत कराना चाहता हूँ कि गत दिन के प्रयास के बावजूद जल स्तर में आशा के अनुरूप एक मिलीमीटर का भी अंतर नही आया है। आपके इस प्रयास से नगर पालिका के संसाधनों का उपयोग हो होगा किन्तु जल स्तर में कोई भी कमी न आ पाने के कारण पीड़ित के व्यथा में कोई भी कमी नहीं सम्भावित है।

आपसे पुन: विनम्र अनुरोध है कि प्रकरण की गम्भीरता को समझते हुए जल निकासी की औपचारिकता के स्थान पर वास्तविक कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीया

(डॉ0 (श्रीमती) नीलिमा श्रीवास्तव)
प्राचार्या

प्रतिलिपि–

1) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2) प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4) निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ।
5) मण्डलायुक्त, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
6) जिलाधिकारी, प्रतापगढ़
7) अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बेला, प्रतापगढ़।

(डॉ0 (श्रीमती) नीलिमा श्रीवास्तव)
प्राचार्या

[illegible] — गायघाट रोड पर सड़क के किनारे नाला निर्माण कार्य

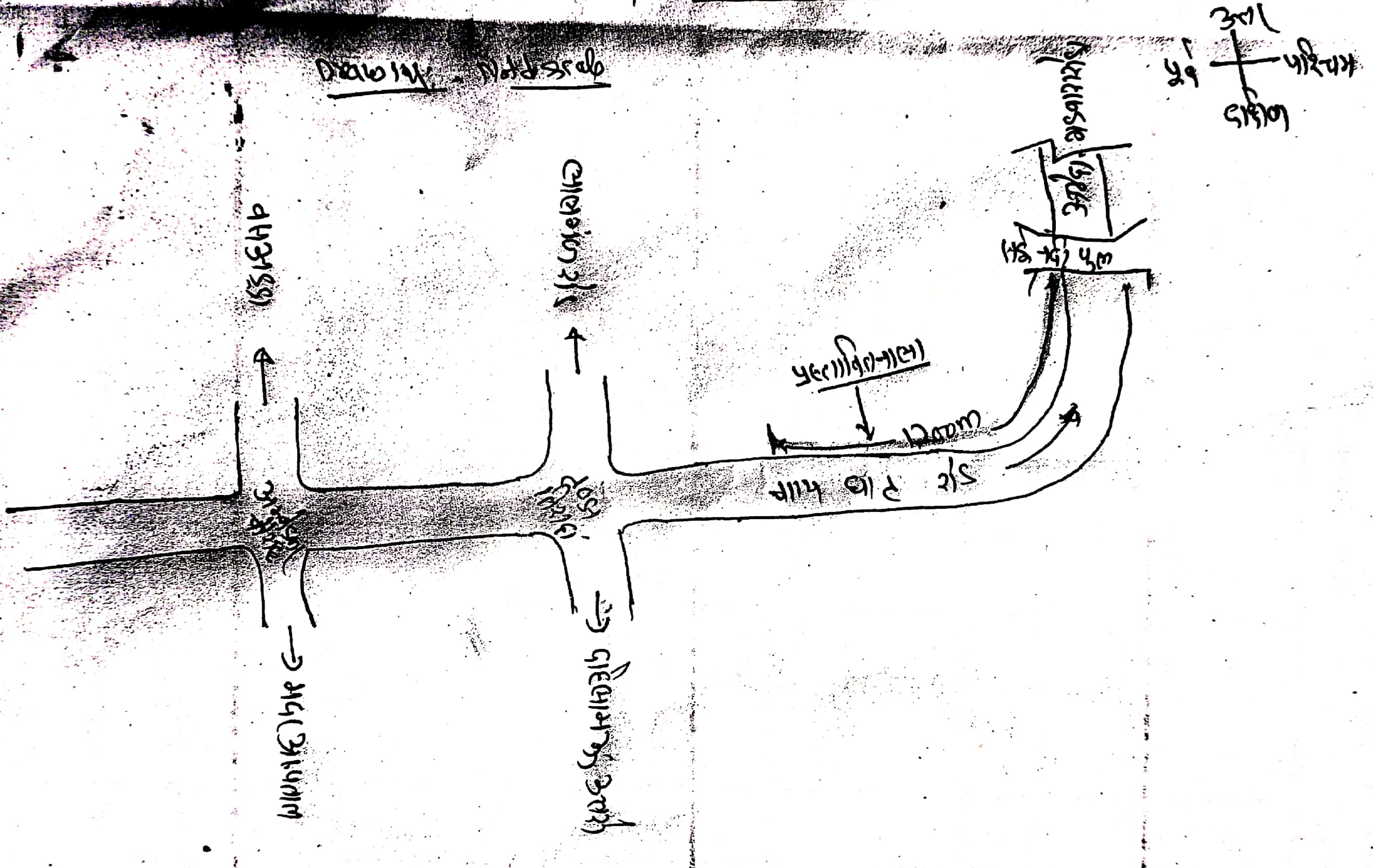

नगर पालिका परिषद बेला (प्रतापगढ़)

व्यय अनुमान पत्र संख्या–

कार्य का नाम– गायघाट रोड पर सई नदी पुल तक आर.सी.सी. नाला का निर्माण कार्य।

माप और संख्या का विवरण

लम्बाई : 1200m
Size 1.0×1.5 m

कार्य का विवरण	विस्तार संख्या	लम्बाई	चौड़ाई	ऊंचाई व गहराई	क्षेत्रफल	दर	प्रति	मूल्यांकन (रु.)
(1) Site clearance i/c all comp	1×	One Job		–	One Job	17200= L.S.	Job	17200=.
(2) Dismantling & encroachment & Ramp etc. i/c all comp	1×	One Job			One Job	18500= L.S.	Job	18500=0
(3) Dewatering of mud & water from one place to other place by Mech. Device i/c all comp.	1×	325 hours		–	325=0	150:0	hours	48750=.
(4) E/W in excavation in found in ordinary soil i/c all comp. S.I.N. 251	40 / 1×	30.. / 1200.0	1.80	(1.30+1.80)/2	=3348 Cum	105:0.	Cum	351540=.
(5) P/L P.C.C. in 1:4:8 with Cement c. sand & 40 mm stone ballast i/c all comp. S.I.N. 281	1×	1200.0	1.80	0.10	216.00 Cum	5700=0	Cum	1231200=.
(6) R.C.C. work in 1:1½:3 Cement c. sand & 20 mm stone grit i/c all comp (~~For wall~~) S.I.N. 283(a)	~~1×1~~	~~1200.0~~						
For raft →	1×1	1200.0	1.60	0.15	288.0 Cum	8300=0	Cum	2390400=0
(7) R.C.C. work in 1:1½:3 Cement c. sand & 20 mm stone grit i/c all comp. S.I.N. 284 Wall's	1×2	1200..	0.20	(1.20+1.80)/2	=720.0 Cum	8550=0	Cum	6156000=00
(8) Cover for slab —	1×1	1200.0	1.40	0.12	201.60 Cum			
				Total:	921.60 Cum	8550=0	Cum	7879680=.
(8) Mild steel in plain work i/c all comp S.I.N. 504 as per Current Rate Standard.	1×	(288.0+921.60)	×1.25 ×0.785		=1186.92 Qtl	11750=.	Qtl	13946310=
							क्रमशः योग	2,58,83,580

नगर पालिका परिषद बेला (प्रतापगढ़)

व्यय अनुमान पत्र संख्या–

कार्य का नाम–

माप और संख्या का विवरण

कार्य का विवरण	विस्तार संख्या	लम्बाई	चोड़ाई	ऊचाई व गहराई	क्षेत्रफल	दर	प्रति	मूल्यांकन
				B/F	Amount	:	₹	25883580:–
(9) Cartage of material by Head load, Thella & Tractor Trali i/c all Comp	1 ×	One Job		-	One Job	55000:– C.L.S	Job	55000:–
(10) Disposal of ~~excavated~~ surplus excavated earth upto 0.5 km Cartage i/c all Comp	-	@ 1 old 1km rr (4) 3348 × 80			= 2678.40 Cum	182:–	Cum	487468:80
(11) S/F of Granite display board i/c all Comp	01	-		.	01 Nos	7000:–	Nos	7000:–
						Total =	₹	26433048:80
						Add 12% GST		3171966:–
							₹	29605014:0

क्रमशः योग						

JE / C(V) 21 PWD
अवर अभियन्ता
नगर पालिका परिषद
बेला–प्रतापगढ़

<u>Inspection on 23.03.2022</u>

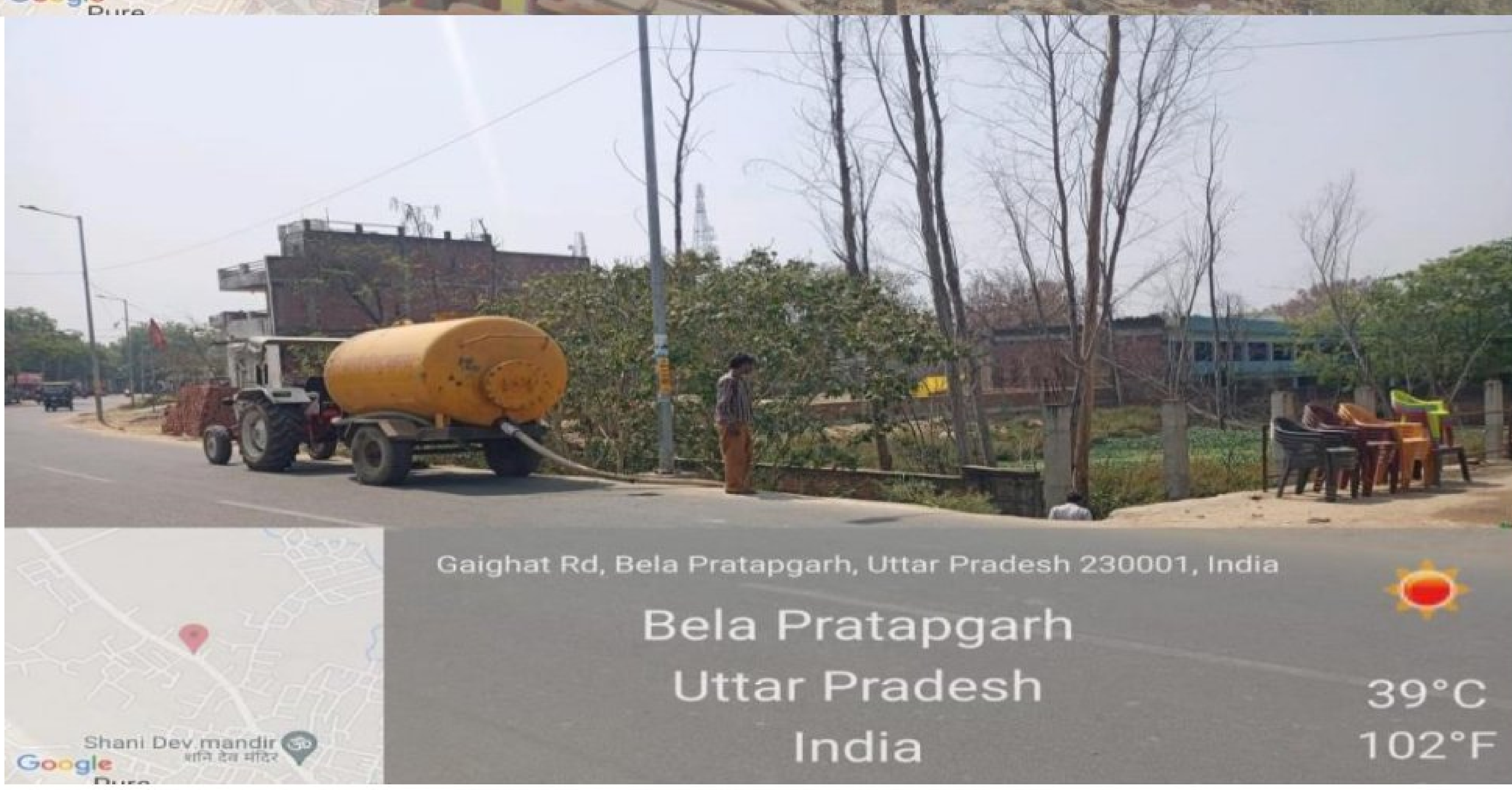

<u>Waste water suctioning from Low Lying Area</u>

<u>water pumping through water pumps</u>

क्षेत्रीय कार्यालय,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सी–ब्लाक, इन्दिरा नगर, आवास विकास कालोनी,
रायबरेली–229001 (उ0प्र0)

पत्रांक– 73/NGT-44/P/2022-23

दिनांक– 25.4.2022

सेवा में,

अधिशाषी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
प्रतापगढ़।

विषय–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा O.A. संख्या–44/2022 साकेत गर्ल्स पी0जी0 कालेज व अन्य बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा O.A. संख्या–44/2022 में दिनांक–15.02.2022 को पारित आदेश का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके मुख्य अंश निम्नवत है–

"...................... In view of above a Joint Committee of the State PCB, Commissioner, Municipal Corporation as well as District Magistrate, Pratapgarh, U.P. is constituted to ascertain the factual position in the matter. The SPCB will be the Nodal agency for coordination and compliance. The Joint Committee may meet within four weeks and undertake site visit and look into the grievance of the applicant and take immediate remedial action, which may include proper channelization/or constructing underground drainage so that untreated water goes through the STP rather than direct disposal into Sai River. Factual and action taken report may be furnished within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.inpreferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF."

माननीय अधिकरण द्वारा दिए गये आदेशानुसार सन्दर्भित प्रकरण में मैसर्स साकेत गर्ल्स पी0जी0 कालेज, प्रतापगढ़ के समीप हो रहे जल भराव के सम्बन्ध में Immediate remedial action लेने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अन्तर्गत नाले का निर्माण आदि किए जाने के भी निर्देश दिए गए परन्तु अभी तक जल भराव की समस्या बनी हुयी तथा समस्या के निदान हेतु नाले आदि के निर्माण के सम्बन्ध में भी कोई प्रस्ताव आप द्वारा अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। कालेज प्रबन्धन द्वारा लगातार बोर्ड मुख्यालय के पत्र प्रेषित कर समस्या के बारे में अवगत कराया जा रहा है।

अतः माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में आपसे अपेक्षा है कि अतिशीघ्र कालेज परिसर के समीप खाली प्लाट में हो रहे जल भराव की निकासी कराकर स्थल पर Disinfection कार्य कराने का कष्ट करें तथा नाले का निर्माण एवं घरेलू बहिस्त्राव के निस्तारण एवं शुद्धिकरण किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्ताव इस कार्यालय को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, अन्यथा की दशा में माननीय अधिकरण द्वारा प्रकरण में दिए गए किसी भी प्रतिकूल आदेश हेतु आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

भवदीय

(प्रदीप कुमार विश्वकर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी
25/04/22

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, प्रतापगढ़।
3. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–5), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी
25/04/22

क्षेत्रीय कार्यालय,

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

सी–ब्लाक, इन्दिरा नगर, आवास विकास कालोनी,
रायबरेली–229001 (उ0प्र0)

पत्रांक– 132/N.G.T.-44/P/2022-23

दिनांक– 06.5.2022

सेवा में,

प्राचार्या,
साकेत गर्ल्स पी0जी0 कालेज,
गाय घाट रोड, प्रतापगढ़।

विषय–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा O.A. संख्या–44/2022 साकेत गर्ल्स पी0जी0 कालेज व अन्य बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में दिनांक–25.02.2022 को पारित आदेशों के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा O.A. संख्या–44/2022 में दिनांक–25.02.2022 को पारित आदेश का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त प्रकरण में माननीय अधिकरण द्वारा आपके शैक्षणिक संस्थान के समीप हो रहे जल भराव के सम्बन्ध में Remedial action लिये जाने हेतु आदेश पारित किया गया है। तत्क्रम में अवगत कराना है कि प्रकरण में गठित संयुक्त कमेटी की जांच में यह संज्ञान में आया है कि स्कूल परिसर एवं Water Logging Area (जल भराव क्षेत्र) Low Lying Area में स्थित है। Low Lying में स्थिति के कारण आपके संस्थान से जनित घरेलू जल–मल का भी एकत्रीकरण उक्त क्षेत्र में होना सम्भावित है।

अतः कृपया अपने संस्थान में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या एवं संस्थान से प्रतिदिन जनित घरेलू जल–मल की मात्रा एवं उक्त के निस्तारण हेतु आप द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गयी हैं के सम्बन्ध में इस कार्यालय को 03 दिनों के अन्दर अवगत कराने का कष्ट करें। जिससे माननीय अधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में उचित कार्यवाही की जा सकें।

भवदीय

(प्रदीप कुमार विश्वकर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी 06.05.22

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, प्रतापगढ़।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–5), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी 05.05.22

क्षेत्रीय कार्यालय,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सी—ब्लाक, इन्दिरा नगर, आवास विकास कालोनी,
रायबरेली—229001 (उ0प्र0)

पत्रांक— 143/ NGT-44/P/2022-23 दिनांक— 13/5/22

सेवा में,

प्राचार्या,
साकेत गर्ल्स पी0जी0 कालेज,
गाय घाट रोड, प्रतापगढ़।

विषय—मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा O.A. संख्या—44/2022 साकेत गर्ल्स पी0जी0 कालेज व अन्य बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में दिनांक—25.02.2022 को पारित आदेशों के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा O.A. संख्या—44/2022 में दिनांक—25.02.2022 को पारित आदेश का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त प्रकरण में माननीय अधिकरण द्वारा आपके शैक्षणिक संस्थान के समीप हो रहे जल भराव के सम्बन्ध में Remedial action के सन्दर्भ में आदेश पारित किया गया है। तत्क्रम में निरीक्षणों के दौरान यह संज्ञान में आया है कि आपके परिसर से जनित घरेलू जल—मल आदि के शोधन हेतु संस्थान में सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट की स्थापना नहीं की गयी है। अवगत हों कि घरेलू अशोधित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उचित निस्तारण व्यवस्था न होने के कारण उत्प्रवाह का एकत्रीकरण आस—पास के निचले क्षेत्रों में होना स्वाभाविक है। यह भी सूच्य हो कि छात्रों की अधिक संख्या के दृष्टिगत संस्थान में शोधन हेतु स्थापित सेप्टिक टैंक/सोकपिट की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है।

उक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि कालेज परिसर में घरेलू जल—मल उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु आवश्यक क्षमता का सीवेज उत्प्रवाह संयंत्र की स्थापना करते हुए राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(प्रदीप कुमार विश्वकर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी 13/05/22

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, प्रतापगढ़।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त—5), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी 13/05/22